बालिका सशक्तीकरण हेतु योजनाओं का आकलन

—ऋषभ कृष्ण सक्सेना

यह विडंबना ही है कि हमारे देश को आजादी मिले 68 वर्ष बीतने के बाद भी आधी आबादी कहलाने वाली महिलाओं की हालत को अब भी 'अच्छा' नहीं कहा जा सकता। ऐसा नहीं है कि सरकार इससे वाकिफ नहीं है। पिछली केंद्र सरकारों और राज्य सरकारों ने इस समस्या को दूर करने के लिए अपने स्तर पर विभिन्न योजनाएं चलाई हैं। लेकिन 2011 की जनगणना में लड़कियों की संख्या संबंधी आंकड़े बता रहे हैं कि इसमें बहुत ज्यादा सफलता हाथ नहीं लगी है। शायद इसीलिए पिछले साल केंद्र में आई राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार इस मोर्चे पर कुछ ज्यादा ही सक्रिय दिख रही है। उसने 'मिशन इंद्रधनुष' जैसी योजनाओं के जरिये नवजात कन्याओं के स्वास्थ्य के प्रति लोगों को गंभीर बनाने की कोशिश की है और आर्थिक कल्याण के लिए सुकन्या समृद्धि जैसी योजनाएं भी चलाई हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा आरंभ की गई 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' योजना लड़कियों की प्रगति में मील का पत्थर साबित हो सकती है और रोजगार की विभिन्न योजनाएं भी महिलाओं का सशक्तीकरण कर सकती हैं।

भारत बेहद तेजी से प्रगति कर रहा है। आर्थिक मोर्चे पर तो इसकी प्रगति की गवाही दुनिया भर के अर्थशास्त्री दे रहे हैं। लेकिन यह विडंबना ही है कि हमारे देश को आजादी मिले 68 वर्ष बीतने के बाद भी आधी आबादी कहलाने वाली महिलाओं की हालत को अब भी 'अच्छा' नहीं कहा जा सकता। महानगरों में अपने आसपास हम महिलाओं को बेहद सशक्त देखते हैं और वे पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर होड़ करती भी दिखती हैं। लेकिन छोटे शहरों, कस्बों या गांवों का रुख करते ही हालात एकदम उलट दिखाई देते हैं। वहां महिलाओं के पास न तो आर्थिक आजादी नजर आती है और न ही सामाजिक बंधनों से उन्हें मुक्ति मिलती है।

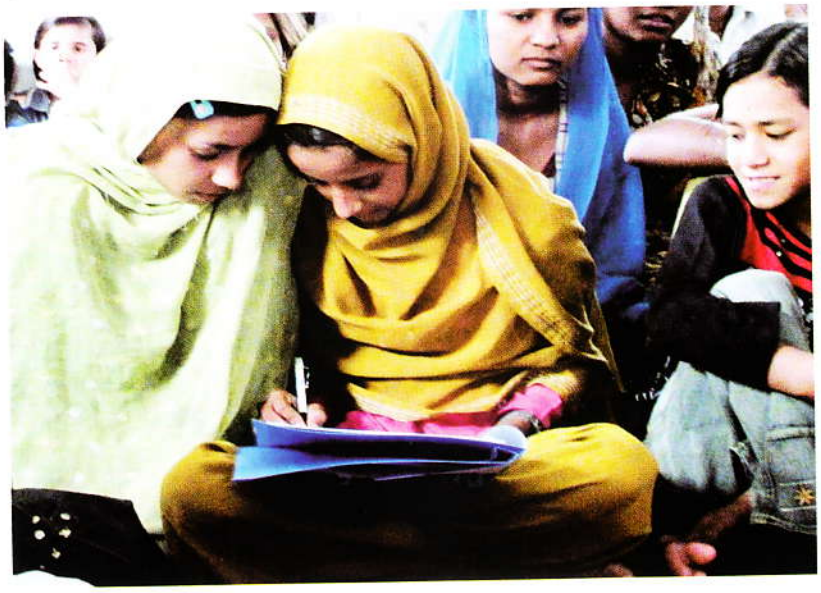

थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन के कुछ महीने पहले आए सर्वेक्षण में जी–20 देशों में महिलाओं की स्थिति की पड़ताल की गई थी और भारत में महिलाएं सबसे बुरी स्थिति में पाई गईं। हद तो यह है कि सऊदी अरब जैसा रुढ़िवादी देश भी इस मामले में भारत से बेहतर निकला। विश्व आर्थिक मंच के लिंग भेद सूचकांक में भी भारत 135 देशों में 113वें स्थान पर दिखता है। रोजगार का मामला आता है तो यह भेद और भी ज्यादा दिखता है और गांव–शहर में कमोबेश हर जगह महिलाएं मोटे तौर पर दोयम दर्जे की ही मानी जाती हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) के 2011 में जारी आंकड़ों के मुताबिक गांवों में केवल 30 फीसदी महिलाओं को ही रोजगार मिला है और शहरों में तो यह आंकड़ा 20 फीसदी पर ही अटक गया।

आंकड़े तो ढेर सारे हैं, लेकिन अक्सर हम इस भेदभाव या पिछड़ेपन की मूल वजह और उससे निपटने के उपायों पर नजर डालने से परहेज करते हैं। इसकी मूल वजह जनगणना के आंकड़ों में बखूबी नजर आती है, जहां लड़कों के मुकाबले लड़कियों की संख्या लगातार घटती जा रही है। 1991 की जनगणना के आंकड़ों में प्रत्येक 1,000

लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या 945 थी, लेकिन 2011 की जनगणना में आंकड़ा 918 पर ही ठहर गया। यह कोई छोटी समस्या नहीं है। इसके पीछे कन्या भ्रूण हत्या या लड़कियों के स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही जैसे चिंताजनक प्रचलन ही असली कारण हो सकते हैं। इससे निपटने का तरीका भी एक ही है लड़कियों को दोयम दर्जे का (और कुछ तबकों में बोझ) मानने की मानसिकता खत्म करना। ऐसा नहीं है कि सरकार इससे वाकिफ नहीं है। पिछली केंद्र सरकारों और राज्य सरकारों ने इस समस्या को दूर करने के लिए अपने स्तर पर विभिन्न योजनाएं चलाई हैं। लेकिन 2011 की जनगणना में लड़कियों की संख्या संबंधी आंकड़े बता रहे हैं कि इसमें बहुत ज्यादा सफलता हाथ नहीं लगी है। शायद इसीलिए पिछले साल केंद्र में आई राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार इस मोर्चे पर कुछ ज्यादा ही सक्रिय दिख रही है। उसने 'मिशन इंद्रधनुष' जैसी योजनाओं के जरिये नवजात कन्याओं के स्वास्थ्य के प्रति लोगों को गंभीर बनाने की कोशिश की है और आर्थिक कल्याण के लिए सुकन्या समृद्धि जैसी योजनाएं भी चलाई हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा आरंभ की गई 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' योजना लड़कियों की प्रगति में मील का पत्थर साबित हो सकती है और उनके रोजगार की विभिन्न योजनाएं भी महिलाओं का सशक्तीकरण कर सकती हैं।

केंद्र सरकार की इन योजनाओं को मोटे तौर पर तीन हिस्सों में बांटा जा सकता है:

- सामाजिक योजनाएं
- शैक्षिक योजनाएं
- आर्थिक योजनाएं

यूं तो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की ओर से दर्जनों योजनाएं चल रही हैं। लेकिन इन तीनों श्रेणियों में कुछ ही योजनाएं ऐसी हैं, जो व्यापक प्रभाव डालने वाली हैं।

सामाजिक योजनाएं– जन्म से लेकर उनके वयस्क होने तक लड़कियों के स्वास्थ्य और सर्वांगीण विकास के लिए सरकार कई योजनाएं चलाती है। नई सरकार ने एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस) के तहत कन्याओं पर अधिक जोर देने के लिए कहा है और सभी बच्चों के अनिवार्य टीकाकरण के लिए आरंभ किए गए मिशन इंद्रधनुष में भी लड़कियों को विशेष रूप से शामिल किया जा रहा है ताकि उनके स्वास्थ्य के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं हो सके। आईसीडीएस इसमें खासतौर पर महत्वपूर्ण है। कुछ अन्य योजनाएं भी हैं, जो विशेष रूप से लड़कियों के सामाजिक उत्थान के लिए ही बनाई गई हैं।

आईसीडीएस– बच्चों के स्वास्थ्य और संपूर्ण विकास के लिए दुनिया में आईसीडीएस से बड़ी संभवतः कोई और योजना नहीं है। यह योजना तो 1975 में शुरू की गई थी, लेकिन यूनिसेफ और विश्व स्वास्थ्य संगठन भी स्वीकार करते हैं कि बच्चों के लिए इतनी व्यापक योजना आज कहीं नहीं है। इस योजना में सभी कुछ शामिल है। इसमें औपचारिक स्कूली शिक्षा से पहले की शिक्षा पर ध्यान दिया जाता है और यह भी देखा जाता है कि बच्चे कुपोषण, बीमारियों और मानसिक क्षमता में कमी से ग्रस्त न हों। इसमें छह वर्ष तक के बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य पर नजर रखी जाती है और उनके समुचित मानसिक तथा सामाजिक विकास की बुनियाद रखी जाती है। इसके अंतर्गत बच्चों को पूरक पोषण प्रदान किया जाता है, उनका टीकाकरण होता है, नियमित स्वास्थ्य जांच होती है और स्कूल से पहले उन्हें शिक्षा भी दी जाती है। इसे संचालित करने का जिम्मा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और चिकित्सा अधिकारियों का होता है। बच्चे आईसीडीएस के तहत साल में 300 दिन तक पूरक आहार प्राप्त कर सकते हैं। जो बच्चे गंभीर कुपोषणग्रस्त होते हैं, उन्हें विशेष पोषाहार पर रखा जाता है। लड़कियों के लिहाज से यह योजना खास महत्व वाली है क्योंकि आमतौर पर उन्हीं में कुपोषण या रक्ताल्पता की शिकायत अधिक देखी जाती है। लड़कियों को समाज के कई तबकों में नजरअंदाज कर दिया जाता है, जो उनके स्वास्थ्य और शिक्षा के लिहाज से खतरनाक हो सकता है। लेकिन सरकार की यह योजना उसकी भरपाई करने में सक्षम हो सकती है।

राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण योजना (सबला)– आईसीडीएस के ढांचे का इस्तेमाल करते हुए 2010–11 में सरकार ने सबला योजना शुरू की, जो किशोरियों के लिहाज से बेहद अहम है। इस योजना को चलाने का जिम्मा राज्य सरकारों का है, लेकिन इसके लिए पूरी वित्तीय सहायता केंद्र सरकार की ओर से दी जाती है। इसका बड़ा मकसद किशोरियों को कुपोषण से बचाना है ताकि उनका सामाजिक और आर्थिक विकास हो सके तथा आने वाली पीढ़ियां भी स्वस्थ हों। इसके तहत 11 से 18 साल की सभी लड़कियों को पोषक आहार प्रदान कराया जाता है और 14 से 18 वर्ष की स्कूली लड़कियों पर खास जोर दिया जाता है। इसके तहत उन्हें पोषण, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, प्रजनन, बच्चों की देखरेख और जीवन–कौशल के बारे में जागरूक भी किया जाता है। जो लड़कियां शिक्षा से वंचित होती हैं, उन्हें औपचारिक शिक्षा के दायरे में लाने का प्रावधान भी इस योजना में है। 16 वर्ष या अधिक उम्र की लड़कियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे रोजगार के लायक बन सकें। स्वाभाविक तौर पर गरीब और वंचित तबकों की लड़कियों पर इसमें खास ध्यान दिया जा रहा है और एक करोड़ से भी ज्यादा लड़कियां इनका फायदा उठा रही हैं।

उज्ज्वला– अवैध मानव तस्करी दुनिया भर में बहुत बड़ी समस्या है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। यहां लड़कियां

भी इसमें फंसी दिखती हैं। अक्सर पारिवारिक बाध्यताओं के कारण उन्हें बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करते देखा जाता है और कई बार उन्हें जबरन काम भी करना पड़ता है। सबसे दयनीय हालत उनकी होती है, जिन्हें बांग्लादेश, नेपाल से और भारत के पिछड़े, गरीब तथा आदिवासी इलाकों से रोजगार के बहाने महानगरों में लाकर देह व्यापार में धकेल दिया जाता है। समस्या यह है कि ये लड़कियां अगर इससे मुक्ति पा लेती हैं तो भी समाज में उन्हें अपनाने वाले मुश्किल से मिलते हैं। इन्हीं के लिए सरकार ने दिसंबर, 2007 में उज्ज्वला योजना आरंभ की है। इसके तहत लड़कियों को देह व्यापार के चंगुल में फंसने से रोका जाता है। यदि वे फंस ही जाती हैं तो उन्हें वहां से मुक्ति दिलाई जाती है। उसके बाद उन्हें चिकित्सा और कानूनी सहायता प्रदान की जाती है तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर उनका आर्थिक पुनर्वास किया जाता है। अंत में पीड़िता को उसके परिवार से मिला दिया जाता है और विदेश से लाई गई लड़कियों को उनके देश भेज दिया जाता है।

स्वाधार गृह– मुसीबत में फंसी लड़कियों और महिलाओं को आश्रय देने के लिए केंद्र सरकार की यह योजना पिछले 13 साल से चल रही है। इसमें बेसहारा महिलाएं तो शामिल होती ही हैं, वे लड़कियां भी होती हैं, जिन्हें वेश्यालयों या बालश्रम से मुक्त कराया जाता है और जिनके परिवार उन्हें वापस अपनाने से इंकार कर देते हैं। ऐसी लड़कियों को खतरे से बचाना और बेहतर जिंदगी दिलाना ही इस योजना का उद्देश्य है। इस योजना में लड़कियों को भोजन, आवास, कपड़े और चिकित्सा जैसी सुविधाएं तो मिलती ही हैं, उन्हें रोजगार कमाने के लायक बनाने के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण भी प्रदान किए जाते हैं। लेकिन इसके लिए लड़कियों की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। इस योजना के तहत प्रत्येक जिले में कम से कम एक स्वाधार गृह बनाए जाने का प्रावधान है, जिसमें 30 लड़कियां और महिलाएं हो सकती हैं। महानगरों में या 40 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिलों में जरूरत पड़ने पर एक से अधिक स्वाधार गृह बनाए जाने का प्रावधान है, जिनमें रहने वाली लड़कियों की संख्या 100 तक हो सकती है।

कितनी प्रभावी– सरकार की सामाजिक योजनाएं बेशक अपना असर दिखा रही हैं और उनसे लड़कियों के सामाजिक दर्जे में इजाफा भी हो रहा है। आईसीडीएस के कारण लड़कियों में भी कुपोषण की स्थिति कम हो रही है ओर सबला के जरिये उन्हें स्कूलों में भी पोषाहार मिल रहा है, जो उनके विकास में सहायक हो रहा है। इसके अलावा उच्च शिक्षा में लड़कियों का दखल भी इन योजनाओं के कारण ही बढ़ रहा है। लेकिन अभी इसमें काफी लंबा रास्ता तय करना है क्योंकि सामाजिक रवैये में तब्दीली ज्यादा अहम है। कई वर्गों में अब भी लड़कियों को दोयम दर्जे का ही माना जाता है और अध्ययन बताते हैं कि ऐसा केवल गरीब परिवारों या गांवों में नहीं है बल्कि संपन्न परिवार भी लड़कों और लड़कियों में भेद करते हैं। इस नजरिये को सुधारने के लिए सरकार को अलग रणनीतियां अपनानी होंगी।

इसी तरह लड़कियों को अक्सर पढ़ाई के साथ परिवार के कामों में भी हाथ बंटाना होता है, जिससे उनका व्यक्तित्व विकास बाधित होता है और उनकी शिक्षा तथा रोजगारपरकता पर भी असर पड़ता है। इसके लिए सरकार को उन परिवारों में जागरुकता का संचार करने की योजनाएं बनानी होंगी ताकि लड़कों की ही तरह लड़कियों को भी स्वास्थ्य और शिक्षा का समान अधिकार प्राप्त हो सके।

शैक्षिक योजनाएं– लड़कियों की शिक्षा के मामले में देश अब भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। इंडिया स्पेंड की पिछले दिनों आई रिपोर्ट के अनुसार 2012–13 में व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा तथा प्रशिक्षण के माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों में लड़कियों की संख्या केवल 7 फीसदी थी। इनमें भी ज्यादातर नर्सिंग और सिलाई जैसे हुनर सीखने में लगी थीं। शहरों में भी केवल 2.9 फीसदी लड़कियां तकनीकी शिक्षा ले रही थीं। इतना ही नहीं उच्च शिक्षा बीच में ही छोड़ने वाली लड़कियों की संख्या भी बहुत अधिक है और केरल तथा गुजरात जैसे समृद्ध कहलाने वाले राज्य भी इससे अछूते नहीं रहे हैं। इससे निपटने के लिए लड़कियों की शिक्षा के लिए अधिक से अधिक प्रयास करने आवश्यक हैं और इसके लिए केवल सर्व शिक्षा अभियान से काम नहीं चल सकता। केंद्र सरकार भी इस बात को समझ रही है, इसलिए कुछ विशेष योजनाओं पर काम चल रहा है।

'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' योजना– केंद्र सरकार की इस योजना में लड़कियों के सामाजिक और शैक्षिक उत्थान की रणनीति निहित है। घटते लिंगानुपात से निपटने के लिए सरकार ने इस योजना को आरंभ में 100 संवदेनशील जिलों में लागू किया है, जहां लिंगानुपात बहुत कम है। इसके तहत कुछ विशेष समुदायों या वर्गों में लड़कियों के प्रति पूर्वग्रह समाप्त करने और लड़कियों के जीवन, सुरक्षा तथा शिक्षा को सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है। इसके तहत आईसीडीएस की सभी योजनाएं भी लड़कियों तक पहुंचाई जा रही हैं ताकि उनका समुचित विकास हो सके। इस योजना के लिए आरंभ में 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। हालांकि यह योजना अभी शुरुआती चरण में है और इसका सही प्रभाव समझने में अभी समय लगेगा, लेकिन योजना ढेर सारी उम्मीदें जगा रही है।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय– हालांकि देश में आरक्षण लागू हुए करीब ढाई दशक पूरा होने को है और अनुसूचित

जातियों तथा जनजातियों के विद्यार्थियों को शिक्षा के मामले में आरक्षण का लाभ मिल रहा है। लेकिन सामाजिक बुनावट और दूसरी रुढ़ियों के कारण इन वर्गों की लड़कियां कई बार शिक्षा से वंचित रह जाती हैं और कई बार उनके आसपास शिक्षा ग्रहण करने के साधन ही नहीं होते। उन्हें तथा अन्य पिछड़े एवं अल्पसंख्यक वर्गों की लड़कियों को ध्यान में रखते हुए यह योजना शुरू की गई है। इसमें उन इलाकों की लड़कियों को रिहायशी सुविधा के साथ शिक्षा मुहैया कराई जाती है, जिनके घरों के आसपास स्कूल नहीं होते। सरकार का मकसद है कि स्कूल की सुविधाएं दूर होने के कारण लड़कियां स्कूली शिक्षा छोड़ने का फैसला न करें और वंचित वर्गों की लड़कियों को शिक्षा से वंचित न रहना पड़े। इसके साथ ही इस योजना से शिक्षा की गुणवत्ता में भी इजाफा होता है। संबंधित सरकारी विभाग इसके लिए उन गांवों में जाते हैं, जहां लड़कियां शिक्षा प्राप्त करने की इच्छुक होती हैं, लेकिन उनके पास साधन नहीं होते। उनके माता–पिता को इस योजना की जानकारी लेकर लड़कियों को कस्तूरबा गांधी विद्यालय में प्रवेश दिला दिया जाता है, जहां वे छात्रावास में रहकर पढ़ाई करती हैं। इनमें दस वर्ष से अधिक उम्र की लड़कियों को ही प्रवेश दिया जाता है। इन विद्यालयों में 75 फीसदी सीटें अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित होती हैं। बाकी 25 फीसदी सीटों पर गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की लड़कियों को प्रवेश मिलता है। सुविधाहीन लड़कियों को शिक्षित करने के लिहाज से यह बेहद महत्वपूर्ण योजना है।

कितनी प्रभावी– शिक्षा की तमाम योजनाएं अपना असर तो दिखा रही हैं और उनसे जागरुकता भी बढ़ती दिख रही है, लेकिन अभी बहुत काम किया जाना बाकी है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शिक्षा की स्थिति पर 2013 में एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसके मुताबिक देश में पांचवीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त करने वालों की संख्या 2012–13 के दौरान करीब 23 लाख कम हो गई थी, जो चिंता की बात है। इसके बावजूद आठवीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चों की तादाद करीब 20 करोड़ बताई गई थी, जिसमें अब इजाफा ही हुआ होगा। इतनी बड़ी तादाद में बच्चों के लिए स्कूलों की सख्त कमी है, जिसका खमियाजा अक्सर लड़कियों को ज्यादा भुगतना पड़ता है। मंत्रालय की वेबसाइट यह भी बताती है कि करीब एक चौथाई स्कूलों में अभी तक शौचालय भी नहीं हैं। जाहिर है कि ग्रामीण इलाकों में यह देखकर माता–पिता लड़कियों को स्कूल जाने से रोक देते होंगे। बेशक प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर स्कूलों में शौचालयों का निर्माण तेज किया जा रहा है, लेकिन अभी उसमें लंबा समय लगेगा।

शिक्षकों की कमी भी रही है क्योंकि आठवीं कक्षा तक करीब 50 विद्यार्थियों पर एक ही शिक्षक है। ऐसे में शिक्षा की गुणवत्ता पर असर पड़ना लाजिमी है। शिक्षकों को कई बार लैंगिक संवेदनशीलता भी नहीं सिखाई जाती है, जिसकी गाज लड़कियों पर गिरती है और उन्हें स्कूल जाने से वंचित होना पड़ता है।

इन सभी समस्याओं को देखते हुए सरकार को सबसे पहले स्कूलों का बुनियादी ढांचा दुरुस्त करना होगा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में यदि ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियों के लिए भी विशेष प्रबंध किए जाएं तो हालात काफी सुधर सकते हैं। इसके अलावा शिक्षकों की भर्ती के लिए विशेष अभियान चलाने होंगे और शिक्षकों को लड़कियों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए विशेष प्रशिक्षण भी प्रदान करना होगा। सर्व शिक्षा अभियान के तहत 2013 में ही कराए गए एक सर्वेक्षण में यह भी पता चला कि जिन राज्यों में लड़कियों को स्कूलों से साइकिल, स्वेटर आदि दिए जाते हैं, वहां स्कूलों में उनकी संख्या काफी बढ़ जाती है। सरकार इस तरह की प्रोत्साहन योजनाओं पर भी जोर दे सकती है।

आर्थिक योजनाएं– तमाम तरह की प्रगति हो जाने के बाद भी भारत के कई हिस्सों और समुदायों में लड़कियों के आर्थिक उत्थान के बारे में नहीं सोचा जाता। अब भी ढेरों परिवार ऐसे हैं, जहां लड़की के जन्म के बाद ही उसके विवाह की चिंता माता–पिता को सताने लगती है। ऐसे में वे उसे रोजगार हासिल करने के लायक प्रशिक्षण देने या आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के बारे में सोच ही नहीं पाते। बेशक देश में नौकरीपेशा लड़कियों और महिलाओं की संख्या बढ़ रही है, लेकिन अब भी यह प्रचलन आमतौर पर महानगरों या बड़े शहरों में ही देखा जा रहा है। छोटे शहरों में अभी तक लड़कियां अनौपचारिक रोजगार में ही जुटी दिखती हैं और विवाह के बाद अक्सर उसे भी छोड़ देती हैं। ऐसे में सुकन्या समृद्धि, धनलक्ष्मी, लाड़ली लक्ष्मी और स्टेप जैसी कुछ योजनाएं हैं, जो लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने में मददगार साबित हो सकती हैं।

सुकन्या समृद्धि– यूं तो भारत में विभिन्न प्रकार की नकद प्रोत्साहन योजनाएं चलती रही हैं और लड़कियों को बढ़ावा देने के लिए भी ऐसी योजनाएं चलाई गई हैं। लेकिन सरकार की सुकन्या समृद्धि इस मामले में सबसे महत्वाकांक्षी और विराट योजना है, जिसे हाथोहाथ लिया भी जा रहा है। इस योजना के तहत लड़की के जन्म से लेकर दस वर्ष के भीतर बैंकों और डाकघरों में सुकन्या समृद्धि खाता खोलना होता है। खाते में शुरुआती पांच साल तक सरकार हर साल 1,000 रुपये डालेगी। लड़की के माता–पिता को इसमें साल में कम से कम 1,000 रुपये डालने हैं और अधिकतम सीमा 1.50 लाख रुपये सालाना है। सरकार ने इस पर पिछले वित्तवर्ष में 9.1 फीसदी ब्याज देने का ऐलान किया था, जो इस साल बढ़ाकर 9.2 फीसदी कर दिया गया। योजना के तहत 14 साल तक लगातार रकम जमा की

जाएगी और उसके बाद 7 साल तक रकम नहीं डालनी है, लेकिन ब्याज जुड़ता रहेगा। 21 साल पूरे होने या विवाह होने पर रकम लड़की या उसके माता–पिता के सुपुर्द कर दी जाएगी। इस योजना के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के मकसद से सरकार ने इसे आयकर से पूरी तरह मुक्त रखा है और आयकर कानून की धारा 80 सी के तहत सालाना निवेश पर कर रियायत भी मिलती है। यह योजना वास्तव में बहुत फायदेमंद है और लड़कियों की उच्च शिक्षा तथा स्वरोजगार के लिहाज से रकम बहुत काम आ सकती है। इस योजना के फायदों का ही कमाल था कि शुरुआती दो महीनों में ही इसमें 15 लाख के लगभग खाते खुल गए थे।

स्टेप– भारत में 15 से 59 साल तक की उम्र यानी कामकाजी उम्र वाले 60 करोड़ से भी ज्यादा लोग रहते हैं, जो उसके लिए बहुत बड़ी फायदे की बात हो सकती है। लेकिन दिक्कत यह है कि ज्यादातर रोजगार के लिए जिस कौशल की जरूरत होती है, वह युवाओं के पास है ही नहीं। लड़कियों और महिलाओं के मामले में हालत और भी बदतर है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) के आंकड़े बताते हैं कि 2004–05 में गांवों में 15 साल से अधिक उम्र की 33.3 फीसदी महिलाएं कामकाज में लगी थीं। लेकिन 2011–12 के सर्वेक्षण में आंकड़ा 25.3 फीसदी ही रह गया। शहरी इलाकों में आंकड़ा 16.6 फीसदी से घटकर 14.7 फीसदी रह गया। इसकी बहुत बड़ी वजह यही है कि रोजगार के मुताबिक कौशल लड़कियों और महिलाओं के पास नहीं होता है। इसके अलावा लड़कियों की शिक्षा पर कम ध्यान दिए जाने के कारण भी यह देखा जाता है। इससे निपटने के लिए ही सरकार ने ''स्टेप'' नाम का कार्यक्रम 1986–87 में शुरू किया था, जिसे अब पूरे देश में व्यापक तरीके से चलाया जा रहा है। केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त इस योजना में लड़कियों के कौशल उन्नयन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। 2014 में इस योजना के नियमों में संशोधन किया गया और कई नए कौशल इसमें शामिल किए गए। योजना के तहत लड़कियों को रोजगार प्राप्त करने के लायक कौशल दिए जाते हैं और उन्हें स्वरोजगार प्राप्त करने या अपना उद्यम आरंभ करने के लायक बनाया जाता है। 16 साल या अधिक उम्र की लड़कियां ही इसमें शामिल हो सकती हैं। गैर–सरकारी संगठनों की मदद से चलाए जा रहे स्टेप प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अधिकतम 200 लड़कियों और महिलाओं के बैच अधिक से अधिक 18 महीने के लिए चलाए जाते हैं। इसके प्रशिक्षण के बाद की गतिविधियों का आकलन भी किया जाता है। तीन या छह महीने के कार्यक्रम भी इसमें होते हैं। इस योजना के तहत पिछले वित्त वर्ष में 24,000 से अधिक लड़कियों और महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया था। 2013–14 में आंकड़ा 31,000 से अधिक था। हालांकि इनमें से कितनी लड़कियों को रोजगार हासिल हुआ है, इसके सरकारी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

कितनी प्रभावी– लड़कियों के रोजगार के लिहाज से स्टेप विशेष और व्यापक योजना है, लेकिन उसके अलावा भी अल्पसंख्यकों के लिए नई रोशनी जैसी योजनाएं हैं और विभिन्न सामान्य रोजगार प्रशिक्षण योजनाएं भी हैं, जिनसे लड़कियां भी लाभान्वित होती हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि इन योजनाओं का समुचित प्रचार नहीं हो पाता है, जिसके कारण अक्सर वे लड़कियां ही इनका लाभ उठा पाती हैं, जो स्वयं आर्थिक रूप से सक्षम बनना चाहती हैं। उनके परिवार कई बार या तो इससे हिचकते हैं या इसके प्रति बेपरवाह रहते हैं। इसलिए सबसे पहले परिवारों को लड़कियों के आर्थिक स्वावलंबन की अहमियत और उसके लाभ बताना जरूरी है। उसके अलावा सरकार को इन कार्यक्रमों की निगरानी के भी समुचित प्रबंध करने होंगे क्योंकि कई बार योजनाएं लालफीताशाही में उलझ जाती हैं और कई बार बुनियादी ढांचे की कमी उन्हें बेअसर बना देती है। गैर–सरकारी संगठनों के सर्वेक्षण यह भी बताते हैं कि सरकार तो अपनी ओर से मोटी रकम इन योजनाओं पर खर्च करती है, लेकिन उसे लक्षित समूह तक पहुंचाया नहीं जाता।

एक अहम बात यह भी है कि गांवों और कस्बों तक ये योजनाएं मुश्किल से ही पहुंचती हैं। पहुंचती भी हैं तो वहां सिलाई–कढ़ाई के प्रशिक्षण तक ही सीमित रहती हैं। गांवों में इनके नदारद होने के कारण शिक्षा प्राप्त करने वाली लड़कियां भी या तो घरेलू कामों में लगी रहती हैं या खेती से जुड़े कामों में हाथ बंटाती रहती हैं। इसलिए उन स्थानों पर बेहतर प्रशिक्षण कार्यक्रमों वाली योजनाओं की आवश्यकता है।

स्वरोजगार के लिए धन भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है। अक्सर लड़कियां प्रशिक्षण हासिल कर लेती हैं, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण अपने उद्यम आरंभ नहीं कर पातीं। यदि उन्हें आर्थिक संसाधन मिल जाएं तो वे कारोबार आरंभ कर सकती हैं, जिनमें दर्जनों अन्य लड़कियों को रोजगार भी मिल सकते हैं। इसलिए सरकार को ऐसी योजनाएं आरंभ करनी चाहिए, जिनमें प्रशिक्षण के उपरांत लड़कियों को वास्तविक कार्यक्षेत्र का छह महीने या साल भर का अनुभव प्रदान किया जाए। उसके बाद उनसे उद्यम की रूपरेखा पूछी जाए और यदि उनके पास व्यवहार्य कार्ययोजना हो तो उन्हें आसानी से ऋण या अनुदान मुहैया कराया जाए ताकि वे बैंकों के चक्कर लगाए बगैर अपना कारोबार आरंभ कर सकें। यदि इन सभी पहलुओं पर काम किया जाता है तो लड़कियों के रोजगार की ठोस व्यवस्था सुनिश्चित हो सकती है।

(लेखक आर्थिक दैनिक 'बिजनेस स्टैंडर्ड' में पत्रकार हैं। इससे पहले संवाद समिति यूनीवार्ता में कार्यरत थे। गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय से संबद्ध मीडिया संस्थानों में अध्यापन कर चुके हैं। इनके लेख विभिन्न पत्र–पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते हैं।)

ई–मेल : rishabhakrishna@gmail.com